Government has taken a number of steps to replenish the stocks which include:—

(1) Decision to import upto 4 million tonnes of wheat during 1996-97 and 1997-98;

(2) Enhancement of procurement price of wheat in 1997-98 season by Rs. 95/- per quintal (inclusive of bonus) over the price paid in the previous year;

(3) Making adequate arrangements for purchasing all the quantities of wheat conforming to the prescribed specifications offered for sale by farmers at the procurement price fixed.

(4) Decision not to allow export of wheat and wheat products during 1997-98.

चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि

4506. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97 में चीनी-पेराई अवधि में किसानों की चीनी मिलों पर बकाया राशि में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 तक बकाया राशि कितनी थी; और

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी मिलों पर अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया है?

कृषि मंत्री और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र:) (क) और (ख) 1995-96 गन्ना पेराई अवधि में 31.3.1996 तक, 1260.31 करोड़ रु० की तुलना में 1996-97 गन्ना पेराई अवधि में 31.3.1997 तक, चीनी मिलों के पास किसानों की बकाया राशि 1087.39 करोड़ रु० थी।

(ख) 1996-97 मौसम के लिए, मार्च, 1997 के अन्त में सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी चीनी मिलों के पास बकाया राशि निम्नवत थी:—

(लाख रु० में)

सार्वजनिक	22457.13
निजी	45453.24
सहकारी	40828.26

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उचित-दर दुकानों को घटिया क्वालिटी के खाद्यान्नों की आपूर्ति

4507. **श्री अजीत जोगी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में उचित-दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को घटिया क्वालिटी वाले चावल, चीनी और गेहूं की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है; और

(ग) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में इन खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न (गेहूं और चावल), कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप खाद्यान्न आपूर्ति कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम मध्य प्रदेश में चीनी का वितरण नहीं कर रहा है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार को भारतीय चीनी मानक ग्रेड के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की चीनी की आपूर्ति की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए मासिक आवंटन के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार को गेहूं और चावल रिलीज कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाक का उठान राज्य सरकार के नामितियों द्वारा उनकी अपनी